

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट- 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण
प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़)

अवधि	आयुर्वेद विभाग			ग्रामीण विकास विभाग			कुल		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि
मार्च 2004 तक	8	8	0.64	134	212	10.02	142	220	10.66
2004-05	4	4	0.83	10	13	0.94	14	17	1.77
2005-06	1	1	0.02	16	21	0.94	17	22	0.96
2006-07	5	6	0.42	28	49	10.65	33	55	11.07
2007-08	4	4	0.26	28	46	8.23	32	50	8.49
2008-09	1	1	0.17	31	69	15.60	32	70	15.77
2009-10	0	0	0.00	35	70	22.09	35	70	22.09
2010-11	1	1	7.01	22	68	37.19	23	69	44.20
2011-12	1	3	1.82	20	76	43.75	21	79	45.57
2012-13	0	0	0.00	24	124	67.97	24	124	67.97
2013-14	7	30	43.91	3	34	24.46	10	64	68.37
कुल	32	58	55.08	351	782	241.84	383	840	296.92

परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ परिच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

31 मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों में टिप्पणित अनियमितताओं को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनियमितताओं का प्रकार	आयुर्वेद विभाग		ग्रामीण विकास विभाग		कुल	
		परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि
1.	आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण	8	12.69	102	55.04	110	67.73
2.	आकस्मिक अग्रिमों का गैर-समायोजन	3	19.09	18	0.68	21	19.77
3.	संस्वीकृतियों के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय	3	0.37	35	7.78	38	8.15
4.	अपव्ययों/निर्र्थक/निष्फल व्यय	7	6.66	81	75.61	88	82.27
5.	निधियों का अपवर्तन	1	0.00	18	2.20	19	2.20
6.	अधिक भुगतान, किराये की अवसूली, अग्रिम/विविध वसूलियाँ	15	0.15	76	0.68	91	0.83
7.	वास्तविक अदाकर्ता की प्राप्तियों का अप्रस्तुतीकरण	1	0.01	3	0.01	4	0.02
8.	बकाया ऋण	0	0.00	63	3.52	63	3.52
9.	निष्प्रयोज्य मशीनरी/उपकरण से अन्तर्विष्ट वाहन	1	0.01	16	0.23	17	0.24
10.	भण्डार/रोकड़ इत्यादि का गैर लेखांकन/कमी	1	0.00	19	0.35	20	0.35
11.	व्यय की पूर्ति न होना	0	0.00	1	0.37	1	0.37
12.	भण्डार/रोकड़/निधियों का दुर्विनियोजन	1	0.01	29	6.74	30	6.75
13.	अपूर्ण/त्याज्य कार्य	0	0.00	35	3.47	35	3.47
14.	हानि/चोरी अपहार/गबन, इत्यादि	1	0.00	25	0.25	26	0.25
15.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अप्रस्तुतीकरण	1	10.78	10	8.32	11	19.10
16.	अनुपयोगी भण्डार सामग्री का निपटान न करना	0	0.00	13	0.14	13	0.14
17.	कोषागारों/बैंको के साथ मिलान न करना	0	0.00	18	3.81	18	3.81
18.	सहायता अनुदान का उपयोग न करना	1	0.72	6	0.38	7	1.10
19.	कोषागारों में ब्याज को जमा न करना	2	4.11	44	28.08	46	32.19
20.	विविध अनियमितताएं	12	0.48	170	44.18	182	44.66
कुल		58	55.08	782	241.84	840	296.92

परिशिष्ट – 1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.12; पृष्ठ 6)

स्वायत्त निकायों के लेखा की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखा प्रस्तुत किये गए थे	लेखा प्रस्तुती की तिथि	लेखा के प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)	अवधि जब तक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये है	विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2012-13	29.08.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
2.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2012-13	26.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
3.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर	मई 2009	2012-13	30.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
4.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला	मई 2009	2012-13	12.08.2013	1½ महीने	2011-12	26.08.2013
5.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन	मई 2009	2012-13	23.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	मई 2009	2012-13	28.10.2013	4 महीने	2011-12	26.08.2013
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन	मई 2009	2012-13	29.09.2013	3 महीने	2011-12	26.08.2013
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डी	मई 2009	2012-13	22.08.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	मई 2009	2012-13	28.09.2013	3 महीने	2011-12	26.08.2013
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा	मई 2009	2012-13	08.08.2013	1 महीना	2011-12	26.08.2013
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लु	मई 2009	2012-13	06.09.2013	2 महीने	2011-12	26.08.2013
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	मई 2009	2012-13	08.08.2013	1 महीना	2011-12	26.08.2013
13.	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2012-13	02.05.2014	10 महीने	2011-12	प्रस्तुत नहीं किया गया
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06	2012-13	23.10.2013	4 महीने	2012-13	26.01.2014

परिशिष्ट – 2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.20; पृष्ठ 23)

छात्रों की अधिगम उपलब्धी एवं प्रगति में वृद्धि की समीक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान परियोजना दल द्वारा संचालित सर्वेक्षण के निष्कर्ष

1. सर्वेक्षण किये गए कक्षा-II से VIII के कुल 5,08,944 छात्रों में से 16,823 (3.30 प्रतिशत), 13,785 (2.70 प्रतिशत), 16,555 (3.30 प्रतिशत) तथा 12,066 (2.40 प्रतिशत) छात्रों ने क्रमशः अंग्रेजी, हिन्दी, गणित तथा विज्ञान में 100 में से 0 अर्जित किया।
2. छात्र आगामी उच्च स्तर पर बिना वास्तविक कक्षा स्तरीय वांछित अधिगम स्तर अर्जित किये ही पहुंच गए। कक्षावार उपलब्धी निम्नवत् दी गई थी:
 - 50 प्रतिशत छात्र कक्षा-II में बिना वास्तविक कक्षा स्तरीय प्रतिभा अर्जित किये प्रविष्ट हो गए।
 - कक्षा- III के 20 प्रतिशत के छात्र प्रारम्भिक स्तर पर थे तथा वर्णों व संख्याओं को नहीं पहचान सके थे।
 - कक्षा- IV के मात्र 2-8 प्रतिशत के छात्र वास्तविक कक्षा सामर्थ्य स्तर पर है।
 - कक्षा- V के मात्र 10 से 16 प्रतिशत छात्र कक्षा परक प्रश्न हल कर सके थे जबकि 35 प्रतिशत छात्र प्रारम्भिक स्तर पर थे वे पढ़ लिख नहीं सकते हैं।
 - मात्र 16 प्रतिशत छात्र कक्षा- VI के उचित स्तर पर थे।
 - कक्षा- VII के मात्र 10 प्रतिशत छात्र कक्षा परक प्रतिभा स्तर पर है।
 - कक्षा- VIII के मात्र 2-6 प्रतिशत छात्र कक्षा परक प्रतिभा स्तर है तथा 16-38 प्रतिशत छात्र अधिगम के बड़े निम्न स्तर पर थे।

परिशिष्ट -2.2

(संदर्भ परिच्छेद - 2.4.6.1; पृष्ठ 68)

सरकार द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने वाले कार्यों को दर्शाता विवरण

क्रमांक	सरकार द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने वाले कार्य का नाम	स्थिति
1.	नगर योजना से अन्तर्विष्ट शहरी योजना	पूर्णतया हस्तांतरित
2.	भूमि उपयोग का विनियमन तथा भवन निर्माण	तदैव
3.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना	तदैव
4.	सडकें एवं पुल	तदैव
5.	घरेलु, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति	तदैव
6.	जन स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन	अंशतः हस्तांतरित
7.	अग्निशमन सेवाओं	हस्तांतरित नहीं किया गया
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पहलुओं का उत्थान	पूर्णतया हस्तांतरित
9.	विकलांगता एवं मानसिक बधिरता सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा	हस्तांतरित नहीं किया गया
10.	बस्ती सुधार एवं उन्नयन	पूर्णतया हस्तांतरित
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन	तदैव
12.	शहरी रमणियताएं एवं सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचे, खेल के मैदान का प्रावधान	अंशतः हस्तांतरित
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौंदर्य-सम्बंधी पहलुओं का उत्थान	हस्तांतरित नहीं किया गया
14.	कब्रगाह एवं कब्रिस्तान, शमशान, शमशानघाट तथा विद्युत शमशानघाट	पूर्णतया हस्तांतरित
15.	पशु बाड़े, जानवरों के प्रति अत्याचार की रोकथाम	तदैव
16.	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से अन्तर्विष्ट महत्वपूर्ण सांख्यिकी	तदैव
17.	स्ट्रीटलाईट, पार्किंग स्थल, बस अड्डे तथा जन सुविधाओं से अन्तर्विष्ट	अंशतः हस्तांतरित
18.	कसाईखाना एवं चर्मशोधनशालाओं का विनियमन	पूर्णतः हस्तांतरित

परिशिष्ट -3.1

(संदर्भ परिच्छेद - 3.12.1.3; पृष्ठ 107)

वर्ष 2011-14 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत वास्तविक बजट तथा बजट के पुनर्विनियोजन का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	सम्भाग का नाम	वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		कुल		
		वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	वास्तविक आवंटन	पुनर्विनियोजन	भिन्नता
1.	कृषि	0.03	0	0.04	0.01	0.04	0	0.11	0.01	(-) 0.10
2.	पशु पालन	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.08	0.08	0.16	(+) 0.08
3.	आयुर्वेद	0.06	0.02	0.10	0.20	0.08	0	0.24	0.22	(-) 0.02
4.	प्रारम्भिक शिक्षा	0.33	0.41	0.55	0.39	0.40	0.27	1.28	1.07 (6)	(-) 0.21
5.	उच्च शिक्षा	0.65	0.37	1.11	0.50	0.79	0.60	2.55	1.47 (8)	(-) 1.08
6.	बागवानी	0.03	0	0.04	0.01	0.04	0	0.11	0.01	(-) 0.10
7.	उद्योग	0.03	0	0.04	0.07	0.04	0	0.11	0.07	(-) 0.04
8.	लघु सिंचाई	0.01	0	0.02	0.01	0.03	0	0.06	0.01	(-) 0.05
9.	सड़क एवं पुल	0.98	2.57	1.95	3.67	2.45	4.02	5.38	10.26 (59)	(+) 4.88
10.	ग्रामीण स्वास्थ्य	0.77	0.18	1.16	0.27	0.85	0	2.78	0.45	(-) 2.33
11.	ग्रामीण जलापूर्ति	0.83	0.34	1.58	1.69	1.58	1.54	3.99	3.57 (20)	(-) 0.42
12.	मृदा संरक्षण	0.05	0.01	0.08	0.02	0.06	0.08	0.19	0.11	(-) 0.08
13.	सामाजिक वानिकी	0.16	0	0.22	0.05	0.20	0	0.58	0.05	(-) 0.53
	कुल	3.95	3.95	6.92	6.92	6.59	6.59	17.46	17.46	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूर्ति सूचना

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।